नियम-12, सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों का चुनाव

भाग-1: उपभाग (अ) योग्यता सोसाइटी के पदाधिकारियों का चुनाव लड़ने के लि
निम्न योग्यतायें होंगी-

पद	योग्यता	कार्यकाल
अध्यक्ष	1. वह सोसाइटी का विगत वर्ष का मनोनीत अध्यक्ष होगा 2. सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा। 3. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी और चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में कार्य करता हुआ होगा।	एक वर्ष

	4. वह पुन: किसी भी पद हेतु चनाव के लिए योग्य नहीं होगा।	
मनोनीत अध्यक्ष	1. वह सोसाइटी का विगत वर्ष का उपाध्यक्ष होगा। 2. सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा। 3. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी और चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में कार्य करता हुआ होगा। 4. वह पुन: अध्यक्ष पद के अतिरिक्त किसी भी पद हेतु चुनाव के लिये योग्य नहीं होगा।	एक वर्ष
उपाध्यक्ष	1. सोसाइटी का न्यूनतम 15 वर्ष से आजीवन सदस्य रहा हो। 2. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी और चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में कार्य करता हुआ होगा। 3. वह पुन: मनोनीत अध्यक्ष/अध्यक्ष के अतिरिक्त किसी भी पद हेतु चुनाव के लिये योग्य नहीं होगा। 4. न्यूनतम एक बार कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहा हो।	एक वर्ष
महासचिव	1. सोसाइटी का न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन सदस्य रहा हो। 2. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी और चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में कार्य करता हुआ होगा। 3. वह पुन: अन्य पदों के अतिरिक्त एक बार इसी पद पर चुनाव के लिए योग्य होगा। 4. कार्यकारिणी समिति में न्यूनतम एक बार कार्य किया हो।	तीन वर्ष
संयुक्त सचिव	1. सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा। 2. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी और चुना के समय उत्तर प्रदेश में कार्य करता हुआ होगा। 3. वह पुन: अन्य पदों के अतिरिक्त एक बार इसी पद पर चुनाव के लिए योग्य होगा।	तीन वर्ष
कोषाध्यक्ष संयुक्त कोषाध्यक्ष	1. सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा। 2. वह उसी स्थान/शहर का रहने वाला होगा जिसका महासचिव है।	तीन वर्ष

चेयरमैन, को-चेयरमैन साइंटफिक कमेटी, चेयरमैन, को-चेयरमैन एकेडमिक व रिसर्च कमेटी	1. सोसाइटी का न्यूनतम 10 वर्ष आजीवन सदस्य रहा हो। 2. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी और चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में कार्य करता हुआ होगा। 3. वह पुनः अन्य पदों के अतिरिक्त एक बार इसी पद पर चुनाव के लिए योग्य होगा। 4. कार्यकारिणी समिति में न्यूनतम एक बार कार्य किया हो।	तीन वर्ष
- **सम्पादक** - **संयुक्त सम्पादक** यू.पी. जर्नल आफ आफ्थैलमोलोजी - **सम्पादक** - **संयुक्त सम्पादक** वार्षिक समारोह की प्रोसीडिंग - **सदस्य,** कार्यकारिणी - **सदस्य,** साइंटफिक कमेटी - **सदस्य,** ऐकेडमिक व रिसर्च कमेटी	1. सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा। 2. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी और चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में कार्य करता हुआ होगा। 3. वह पुनः अन्य पदों के अतिरिक्त एक बार इसी पद पर चुनाव के लिए योग्य होगा। 4. सदस्य कार्यकारिणी सम्बन्धित जोन से एक होगा।	तीन वर्ष

उपभाग-(ब): कोई भी आजीवन सदस्य उपाध्यक्ष, महासचिव व चेयरमैन साइंटफिक कमेटी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगा यदि वह उस समय शहर का रहने वाला है जहां पर वार्षिक समारोह हो रहा है।

उपभाग (स): सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

उपभाग (द): कोई भी सदस्य एक साथ एक से अधिक पदों को एक ही समय में ग्रहण नहीं कर सकेंगे।

उपभाग (ध): कोई भी सदस्य उपाध्यक्ष, महासचिव व चेयरमैन सांइटफिक कमेटी में से किसी एक पद के लिये ही नामांकन कर सकेगा।

उपभाग (न): कोई भी सदस्य एक चुनाव में दो पदों से अधिक पर नामांकन नहीं कर

सकेगा तथा नामांकन के समय ही उसे अपने चुनावपरान्त पद की प्राथमिकता लिखित में देनी होगी जिससे दोनों पदों पर निर्वाचन की स्थिति में स्थिति स्पष्ट रहे।

भाग-2: चुनाव वार्षिक समारोह के प्रथम दिवस पर होगा।

भाग-3: चुनाव के लिये नामांकन करने की अन्तिम तिथि हर वर्ष की 31 जुलाई सांय 5 बजे तक होगी। इस समय तक नामांकन पत्र महासचिव कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य होगा इसके पश्चात् नामांकन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

भाग-4: समस्त नामांकन पत्र किन्हीं भी दो आजीवन सदस्यों द्वारा संस्तुति किया जाना आवश्यक होगा।

भाग-5: किसी पद के लिए चुने जाने के लिए प्रत्याशी का वार्षिक साधारण सभा मीटिंग में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना आवश्यक होगा। जब तक कि कोई वाजिब कारण की पूर्ण सूचना अध्यक्ष या महासचिव को न दी जाये।

भाग-6: चुनाव समिति:

उपभाग (अ): अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निकट पूर्व अध्यक्ष, महासचिव और निकट पूर्व महासचिव चुनाव समिति का निर्माण करेंगे और अध्यक्ष उसका मुख्य चुनाव अधिकारी होगा।

उपभाग (ब): महासचिव चुनाव अधिकारी होगा।

उपभाग (श): यदि महासचिव चुनाव में किसी पद का प्रत्याशी है तो अध्यक्ष एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगा।

उपभाग (द): चुनाव अधिकारी चुनाव के लिए नामांकन एक निश्चित तिथि तक के लिए आमंत्रित करेगा जो 31 जुलाई होगी।

उपभाग (य): चुनाव अधिकारी प्रत्याशियों का नामांकन पत्र का निरीक्षण करेगा।

उपभाग (र): प्रत्याशियों को मूल नामांकन पत्र को देखने का अधिकार होगा।

उपभाग (ल): चुनाव अधिकारी सभी सदस्यों को चुनाव के विषय में कम से कम एक महीने पहले सूचित करेगा।

~~उपभाग (व): केवल आजीवन सदस्य चुनाव लड़ने के अधिकारी होंगे।~~

उपभाष (ष): चुनाव अधिकारी मतदान, चुनाव और मतगणना का इंतजाम सभी

UPSOS Bylaws Final [Compatibility Mode] - Word

प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधि को मौजूदगी में करेगा।

उपभाग (श): चुनाव अधिकारी चुनाव नियत समय एवं तिथि को करेगा जो सामान्यतया वार्षिक समारोह के मुख्य दिवस होगा।

उपभाग (ह): चुनाव में बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

उपभाग (क्ष): मुख्य चुनाव अधिकारी चुने हुए व्यक्तियों का नाम और पद उसी दिन घोषित करेगा।

उपभाग (त्र): चुनाव में असहमत व्यक्ति चुनाव समिति को अपनी असहमति लिखकर व्यक्त करेगा तथा वह असहमति पूरी चुनाव समिति द्वारा निरीक्षित की जायेगी और फिर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

नियम-13, वार्षिक समारोह

भाग-1: सोसाइटी हर वर्ष वार्षिक समारोह करेगी तथा इसकी सूचना सभी सदस्यों को 4 माह पूर्व भेजी जायेगी।